उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन तृतीय तल, बी—ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या F-95604 /सी-1/एन०ओ०सी०/जी-४११/२०११ दिनांक 27-4-12

सेवा में,

मे0 : मैसर्स [illegible] प्रा० लि०,
८-सी, [illegible], १५ [illegible] रोड,
नई दिल्ली-०१

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक [illegible] के संदर्भ में आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

१. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल : प्रस्तावित [illegible] परियोजना, एन०एच०-२४, ग्राम [illegible], गाजियाबाद

(ख) उत्पादन : भूखण्ड क्षेत्रफल-७२१४०४७.५० वर्गमीटर में ३६९९ प्लॉट की आवासीय कॉलोनी, २३२१ आवासीय फ्लैट, कम्युनिटी सेन्टर, इन्स्टिट्यूशनल एरिया की स्थापना

(कुल भूखण्ड क्षेत्रफल = 180 एकड़)

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : डी०जी० सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की प्रथम तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आयुक्त के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......१०/४/२०१९............ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७— मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सी प्रा० लि० द्वारा जयपुरिया सनराइज ग्रीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना एन०एच०–24, ग्राम शाहपुर बमहेटा, गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल १०० एकड़ में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना की स्थापना की जाये।

८— संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्रवाह २६६६ घनमीटर/दिन हेतु कुल १५०० घनमीटर/दिन क्षमता के ३, कुल ४५०० घनमीटर/दिन क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को यथासंभव सिंचाई, फ्लशिंग एवं डी०जी० सेट कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये। शेष शुद्धिकृत उत्प्रवाह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सीवर सिस्टम/अंतिम निस्तारण बिन्दु तक स्वयं की पाइप लाइन द्वारा इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल भराव की समस्या न रहे।

९— संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रबन्धन वर्मीकम्पोस्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रस्तावों के अनुरूप किया जाये।

१०— समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जाये।

११— संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१२— संस्था नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१३— संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१४— संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जाये।

१५— संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी की शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रदत्त बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

१६— अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

द्वारा इस कार्यालय को दिनांक ....[illegible].......... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायगी।

भवदीय

प्रबन्ध सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पीलीभीत
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीलीभीत
4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल— २)